

FROM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bhilwara

No- F39-7(1)()RA/2020/ 1191

Dated- 05/02/2020


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 02.047 hectares of forest land propose to be diverted in favour of public health engineering department project division mandalgarh for laying of pipeline under Chambal-Bhilwara Water Supply Project Phase-II, Phase-VIII at village mandalgarh, bijoliya & jahajpur Dist-Bhilwara(Raj.)

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02.047 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub-division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure -1;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha has given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above


(Rajendra Bhatt)
District Collector, Bhilwara

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक :— १५२२

दिनांक :— 18.11.2019

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. ८वी/राज/६/२२/२०१५/एफ.डी./२०० दिनांक ०२.०६.२०१५ एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-३) के पत्र क्रमांक पं. ६(१४)प्रसु/अनु-३/२००८(२) दिनांक १४.०३.२००८ की अनुपालना में आज दिनांक १८.११.२०१९ को ४.०० बजे श्रीमान जिला कलक्टर, भीलवाडा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ संशोधित नियम २०१२ की क्रियान्विति के सम्बंध में जिला स्तरीय समिति भीलवाडा की बैठक रखी गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:—

१. जिला कलक्टर, भीलवाडा—अध्यक्ष।
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा—सदस्य।
३. उप वन संरक्षक, भीलवाडा—सदस्य।
४. श्री हिरण्य गुरुभ (हेम) जिला परिषद भीलवाडा सदस्य—सदस्य
५. श्री बी.एस. नकलक अधिशाषी अभियन्ता PHED परियोजना खण्ड— माण्डलगढ़

इस बैठक में जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना, फेंज-२, पैकेज-८ के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में वन क्षेत्र में बिछाई जाने वाली पाईप लाईनों (ग्राम सभा व वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अभिंशषा अनुसार) के सम्बंध में चर्चा की गई :—

१. उपखण्ड माण्डलगढ़ के अधीन ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	पंचायत/नगरपालिका का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं०
१	राजगढ़	उम्मेदपुरा	१९७
२	राजगढ़	चान्दपुरा	९८/०१, १०३, १०५, ११०
३	बीकरण	दूदा जी का खेडा	८६/७०
४	बीकरण	तखतजी का खेडा	२२३/२४
५	बीकरण	खाम का खेडा	१२१
६	श्यामपुरा	हमेरीया	१९६२
७	श्यामपुरा	भोपालगढ़	६२, ६३
८	श्यामपुरा	श्यामपुरा	१२०४
९	मोहन पुरा	फतेहपुरा	३, ४, ११, १२,
१०	मोहन पुरा	आणदो का खेडा	१६६/१४९
११	मोहन पुरा	मोहनपुरा	०१, ०२/१, ०३/०१, ४३/०१, ४४
१२	मोहन पुरा	नीम का खेडा	३२६, ६७६/३१०, ६७७/३१४, ६७८/३१७, ६८०/३२४, ६८१/३२५, ६८३/३२७
१३	सराणा	केकरिया	०१, ४०२/२८३, ४०५/३६
१४	नगरपालिका माण्डलगढ़	भारजी का खेडा	४३०/१९८

2 उपखण्ड विजौलिया के अधीन ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं०
1	भोपतपुरा	बांका	529
2	भोपतपुरा	लोरदा	540
3	भोपतपुरा	सूर्ठी	117
4	विजौलिया खुर्द	फूलन	17
5	विजौलिया खुर्द	वृन्दावन	05, 06, 09, 10
6	विजौलिया खुर्द	मानगढ़	10, 190 / 10
7	विजौलिया खुर्द	पटियाल	63
8	विजौलिया खुर्द	तीखी	06, 07, 174 / 6, 176 / 9, 177 / 10
9	विजौलिया खुर्द	छतरी खेड़ा	50, 51
10	थडोदा	रामरडा	01, 02, 03 / 01, 04 / 01, 05 / 02, 06 / 02, 07 / 02
11	आरोली	करलाव	26, 28, 29, 30
12	सुखपुरा	कनेर	4, 6, 9 / 6

उक्त ग्रामों में वन विभाग की भूमि से होकर पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु प्राप्त ग्राम सभाओं के अनुज्ञा के आधार पर ग्राम स्तरीय समितियों ग्राम पंचायत राजगढ़, बीकरण, श्यामपुरा, मोहनपुरा, सराणा, भारजी का खेड़ा, भोपतपुरा, विजौलियां खुर्द, थडोदा, आरोली एवं सुखपुरा के द्वारा अनुमोदन किया गया है। वन विभाग की भूमि से होकर बिछायी जाने वाली पाइप लाइन हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ व विजौलिया की अध्यक्षता में गठित उपखण्ड स्तरीय कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही के विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार भीलवाडा जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवासी के सन्दर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रात्रता नहीं रखता है। अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना में व्ययवर्तन (DIVERSION) हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र 2.0467 हेक्टेयर भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत लग्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 (1)(e) के अनुसार जनजाति समुहों और कृषि पुर्व समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि से चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र सर्वसम्मति से जारी करने की अभिशंषा की जाती है।


 सदस्य सचिव एवं
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 जिला परिषद भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद भीलवाड़ा।
2. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा।
3. उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ / बिजौलिया।
4. विकास अधिकारी, प. सं. माण्डलगढ़ / बिजौलिया।
5. अधिषाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़।

सदस्य सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया ज़िला भीलवाडा, राजस्थान

क्रमांक :- 1715 - 15

दिनांक :- 25.9.2019

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. ४३१/राज/६/२२/२०१५/एफ.डी./२०० दिनांक ०२.०६.२०१५ एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुग्राम-३) के पत्र क्रमांक पं. ६(१४)प्रसु/अनु-३/२००८(२) दिनांक १४.०३.२००८ की अनुपालना में आज दिनांक २५-०९-२०१९, को.॥०९.८४जे उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ संशोधित नियम २०१२ की क्रियान्विति के सम्बंध में उपखण्ड स्तरीय माण्डलगढ़ की बैठक रखी गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

१. उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया-अध्यक्ष।
२. विकास अधिकारी, पं.सं. विजौलिया-सदस्य।
३. क्षेत्रिय वन अधिकारी, वन विभाग माण्डलगढ़-सदस्य।
४. श्री रतन लाल खटीक-सदस्य।
५. श्री नन्द लाल भील-सदस्य।
६. श्री भैरु लाल भील-सदस्य।

इस बैठक में ग्राम स्तरीय वनाधिकारी कमेटी से वन क्षेत्र में जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना, फेंज-२, पैकेज-८ के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में विछाई जाने वाली पाईप लाईनों (ग्राम सभा व वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुज्ञानुसार) के सम्बंध में चर्चा की गई :-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं०
1	भोपतपुरा	वांका	959
2	भोपतपुरा	लोरदा	540
3	भोपतपुरा	सूंठी	117
4	विजौलिया खुर्द	फूलन	17
5	विजौलिया खुर्द	वृन्दावन	०५, ०६, ०९, १०
6	विजौलिया खुर्द	गानगढ़	१०, १९० / १०
7	विजौलिया खुर्द	पटियाल	63
8	विजौलिया खुर्द	तीखी	०६,०७,१७४ / ६, १७६ / ९, १७७ / १०
9	विजौलिया खुर्द	छतरी खेडा	५०,५१
10	थर्डोदा	रामरडा	०१,०२,०३ / ०१, ०४ / ०१, ०५ / ०२, ०६ / ०२, ०७ / ०२
11	आरोली	करलाव	२६, २८, २९, ३०
12	सुखपुरा	कर्नर	४, ६, ९ / ६

उक्त ग्रामों में वन विभाग की भूमि से पाईप लाइन बिछाई जाने हेतु प्राप्त ग्राम सभाओं के अनुमति के आधार पर ग्राम स्तरीय समितियों ग्राम पंचायत भोपतपुरा, विजौलियां खुर्द, थडोदा, आरोली एवं सुखपुरा के द्वारा अनुमोदन किया गया है। वैठक में उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुगोदन कर जिला स्तरीय कमेटी को अभिशंषा सहित प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवासी के सन्दर्भ में किसी भी व्यक्ति/समूदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि से चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाईप लाइन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अभिशंषा की जाती है।

25/09/19
विकास अधिकारी
संघर्ष विजौलियां
जिला परिषद

(W)
लिनेसूपवास अधिकारी
वनलेपिशासा माष्ठुर्संगढ
माण्डलराड

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां
माण्डलराड

रतन लाल खटीक
जिला परिषद सदस्य

7/15/08/11/18
नन्द लाल भील
संगठन

मृत्ति
भैरु लाल भील
संगठन

क्रमांक :- 1715-18

दिनांक :- 25/09/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वार्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाडा।
2. विकास अधिकारी, पं. सं. विजौलियां।
3. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलराड।
4. श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत भीलवाडा, विजौलिया खुर्द, धडोया, आरोली
एवं सुखपुरा

8/1
जिला परिषद
विजौलियां निवासी समिति

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
क्रमांक :- ११८ दिनांक :- २३/१०/१५

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. ४८ी/राज/६/२२/२०१५/एफ.डी./२०० दिनांक ०२.०६.२०१५ एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-३) के पत्र क्रमांक पं. ६(१४)प्रसु/अनु-३/२००८(२) दिनांक १४.०३.२००८ की अनुपालना में आज दिनांक १८-१०-२०१९ को १२.०० बजे उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ संशोधित नियम २०१२ की क्रियान्वयन के सम्बंध में उपखण्ड स्तरीय माण्डलगढ़ की बैठक रखी गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

१. उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़—अध्यक्ष।
२. विकास अधिकारी, माण्डलगढ़—सदस्य।
३. क्षेत्रीय वन अधिकारी, माण्डलगढ़—सदस्य।
४. श्री शैतान लाल मीणा—सदस्य।
५. श्री देवकरण मीणा —सदस्य।
६.


इस बैठक में ग्राम स्तरीय वनाधिकारी कमेटी से वन क्षेत्र में जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, फेंज-२, पैकेज-८ के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में बिछाई जाने वाली पाईप लाईनों (ग्राम सभा व वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुज्ञानुसार) के सम्बंध में चर्चा की गई :—

क्र.सं.	पंचायत/ नगरपालिका का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं०
1	राजगढ़	उम्मेदपुरा	197
2	राजगढ़	चान्दपुरा	98/ 01, 103, 105, 110
3	बीकरण	दूदा जी का खेड़ा	86/ 70
4	बीकरण	तखतजी का खेड़ा	223/ 24
5	बीकरण	खाम का खेड़ा	101
6	श्यामपुरा	हमेरीया	1962
7	श्यामपुरा	भोपालगढ़	62, 63
8	श्यामपुरा	श्यामपुरा	1204
9	मोहन पुरा	फतेहपुरा	3, 4, 11, 12,
10	मोहन पुरा	अण्डो का खेड़ा	166/ 149
11	मोहन पुरा	मोहनपुरा	01, 02/ 1, 03/ 01, 43/ 01, 44
12	मोहन पुरा	नीम का खेड़ा	326, 676/ 310, 677/ 314, 678/ 317, 680/ 324, 681/ 325, 683/ 327
13	सराणा	केकरिया	01, 402/ 283, 405/ 36


उत्तर गांवों में वन विभाग की भूमि से होकर पाइप लाइन विछाई जाने हेतु प्राप्त ग्राम एण्डो के अनुज्ञा के आधार पर ग्राम रत्नीय समितियाँ ग्राम पंचायत राजगढ़, बीकरण, श्यामपुरा, गोहनपुरा, राराणा त भारजी का खेड़ा के द्वारा अनुग्रहन किया गया है। बैठक में उपखण्ड रत्नीय कमेटी द्वारा अनुग्रहन कर जिला रत्नीय कमेटी को अभिशंषा सहित प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम अण्डो का खेड़ा, ग्राम पंचायत गोहनपुरा के आरजी न० 166 / 149 में रक्का 10 बीघा के वन अधिकारों के धारक श्री भोलू पिता रामा जाति मीणा निवारी अण्डो का खेड़ा है। श्री भोलू पिता रामा जाति मीणा ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि चम्बल परियोनजा के तहत पाइप लाइन विछाई जाने हेतु राङ्क किनारे पर्याप्त जगह उपलब्ध होने के कारण उन्हे पाइप विछाने में कोई आपत्ति नहीं है। तथा वे भविष्य में किसी भी प्रकार के वनाधिकारों के हनन या अतिकरण या गुआवजा सारी का दावा नहीं करेंगे।


उपरोक्त उल्लेखित ग्राम अण्डो का खेड़ा के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्राम में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवारी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत वननिवारी के सन्दर्भ में निरी भी व्यक्ति/सामुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के रामबंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्राप्तता नहीं रखता है। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि से चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अभिशंषा की जाती है।


विकास अधिकारी,
पं. सं. माण्डलगढ़


क्षेत्रिय वन अधिकारी,
वन विभाग माण्डलगढ़


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़



श्री शेतान लाल मीणा
सदरय
क्रमांक :- ११७


श्री देवकरण मीणा
पूर्व सरपंच मानपुरा

दिनांक :- २३/१०/१०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वार्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा।
2. विकास अधिकारी, पं. सं. माण्डलगढ़।
3. अधिशासी अधिकारी, जन रवा, अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़।
4. श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत.....


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत राजा।६
 ग्राम :- उमीदपुरा
 दिनांक :- १८।२।१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र राजा।६ के खसरा संख्या..... १९७ में

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव रुम्हा।१८ में सरपंच कल्पना शर्मा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के उमीदपुरा गांव में ००८२ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् उमीदपुरा से कट्टपीपोका रवेडा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के उमीदपुरा गांव में ००८२ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक १८।२।१९ पुस्तक सं००२
में अनुमोदित है।

लाल
प्रबन्ध
ग्राम पंचायत-राजा
एस. माण्डलगढ़

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत राजगढ़
एस. माण्डलगढ़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत २१८१६
 ग्राम :- २१८५३
 दिनांक :- ०१/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-४ परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र २१८१६ के खसरा संख्या ९८/०१, १०३, १०५, ११०

में
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव २१८१६ में सरपंच २१८५३ की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजिती की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के २१८५३ गांव में ०.०५७० हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् २१८५३ से २१८५३ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के २१८५३ गांव में ०.०५७० हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक १४/२०१९ पुस्तक सं. ००२
 मे अनुमोदित है।

लालूलीम
 एक्सचर
 ग्राम पंचायत राजगढ़

ग्राम किलास अधिकारी
 ग्राम पंचायत राजगढ़
 पं. स. माण्डलगढ़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत लीकरण
 ग्राम :- तुम्हारी कोर्ट रोड
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र कोकरा के खसरा संख्या..... 86/78

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव **लीकरण** में सरपंच **लाभी केवर** की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

- गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के झुझुपी झो रखण गांव में.....
०.१५३. हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विसाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् झीकरुण इट्सेलारप रु झुझुपी ना खंगतक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
 - उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
 - उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के ~~३५.४५~~ ५१.२६० गांव में ०.०१.५३ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मीति से इसे पारित किया गया। जामशफ़ाटिनामा, १५/१२/२०१३, उत्ताप्ति

लालीकवट
सरपाय
बी. कुमार
त. स. मान्देश्वर

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत माल का खेड़ी बीकारा०

ग्राम :-माल का खेड़ी बीकारा०

दिनांक :-१५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, फैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र माल का खेड़ी बीकारा० के खसरा संख्या223/२५


..... में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव लालीकरण .. में सरपंचलालीकरण की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के लालीकरण गांव में०.०४८ हैक्टेयर वन मूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ झारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लालीकरण उच्च प्रतापगढ़ लै तरुतभी तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित मूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को मूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के लालीकरण गांव में०.०४८ हैक्टेयर मूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

लालीकरण उच्च प्रतापगढ़ उच्च अनुमोदित

ग्राम सभाका प्रमुख मरिठ
ग्राम पंचायत खेड़ी
०८ प्र पाइपलगढ़



ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत लीकरण
 ग्राम :- रवाना का रवैटा
 दिनांक :- १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र रवाना का रवैटा के खसरा संख्या 121 लीकरण

..... में
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव रवाना का रवैटा में सरपंच लाली कंवर की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के रवाना का रवैटा गांव में ११४९ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लीकरण से धामनिभाँ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के रवाना का रवैटा गांव में ११४९ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

शामस्त्रादिन १५/८/१९ उत्तरसंघ के अनुमोदित

ग्राम सभा प्रबन्ध मंच
ग्राम पंचायत बोर्ड
ग्राम पंचायत बोर्ड

लाली कंवर

ग्राम पंचायत की करण
ए. स. लालीवाड़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत श्यामपुरा
 ग्राम :- हमीरपां
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र क्षेत्र ४५१५पुरा के खसरा संख्या १९६२

में
लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव क्षेत्र ४५१५पुरा में सरपंच सोनु मीठा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के हमीरपां गांव में ०५।६ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् किनील्होसे धासुतभा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के हमीरपां गांव में ०५।६ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

शाम रन्मा १५।८।२०१७ की प्रत्यक्ष अ-०२ नं
नामांकित है

श्यामपुरा

सरपंच

ग्राम पंचायत श्यामपुरा

पं. म. बिजौलियां

Ram

प्रधान प्रत्यक्ष अ-०२

श्यामपुरा

प. स. बिजौलियां

ग्राम सभा अनुज्ञा

२०१८/५२

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत स्थानपालगढ़ (मीलवाड़ा)

ग्राम :- मीलवाड़ा

दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-४ परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र २०१८/५२ के खसरा संख्या.....६.२., ६.३.

में
लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव२०१८/५२ .. में सरपंचसोना। मीला। की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के मीलवाड़ा गांव में०१२.० हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् घोरला से फौरेंटुर तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के मीलवाड़ा गांव में०१२.० हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा १५/८/२०१९ में उत्तरात् - ०२

मनुषोदित है।

१
सोना। मीला।
सरपंच

ग्राम पंचायत श्यामपुरा
प. स. बिजौलिया

प्राप्त विकास अधिकारी
ग्राम पञ्चायत श्यामपुरा
प. स. बिजौलिया

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत कृष्णपुरा
 ग्राम :- कृष्णपुरा
 दिनांक :- १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र कृष्णपुरा के खसरा संख्या 1204

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव कृष्णपुरा में सरपंच स्टोड मीणा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के कृष्णपुरा गांव में ०.०५।८ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् कृष्णपुरा से चौरला उच्च तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के कृष्णपुरा गांव में ०.०५।८ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा द्वितीय १५/८/२०१९ में प्रत्याख्यात

१
ग्राम सभा

सरपंच
ग्राम पंचायत श्यामपुरा
प. स. विजौलिया

२ में दातुमोदीत है

ग्राम सभा अधिकारी
ग्राम पंचायत श्यामपुरा
प. स. विजौलिया

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायतमोहनपुरा
 ग्राम :-मोहनपुरा
 दिनांक :-१५/०८/२०१७

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या३, ५, ११, १२.....

..... में
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांवमोहनपुरा .. में सरपंचआशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग केमोहनपुरा..... गांव में०.०४९..... हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात मोहनपुरा खण्ड सं. ५८/८८४..... तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-दिमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार दिमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग केमोहनपुरा..... गांव में०.०४९..... हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

*ग्राम सभा बैठक १५.०८.२०१७
 द्वारा देवी घ. (३) नं. अनुमति का
 आशा देवी*

*A
 ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत शोहनपुरा
 उ. स. माण्डलगढ़*

आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 पं. स. माण्डलगढ़, जिला - भीलवाडा

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भोटनपुरा
 ग्राम :- अण्डलगढ़ी का खेड़ा
 दिनांक :- १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र भोटनपुरा के खसरा संख्या १६६/१५७

..... में
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव भोटनपुरा में सरपंच आरा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के अण्डलगढ़ी का खेड़ा गांव में ०.०६४९ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् भोटनपुरा उच्च सिलागढ़ झुजणकोटा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के अण्डलगढ़ी का खेड़ा गांव में ०.०६४९ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

A
 ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत भोटनपुरा
 पं. स. माण्डलगढ़

ग्राम पंचायत भोटनपुरा १५-०८-२०१९
 उल्लंघन (३) के अनुसार
 आशा देवी
 आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत भोटनपुरा
 पं. स. माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत ...मोहनपुरा
 ग्राम :- मोहनपुरा
 दिनांक :- १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या ०१, ०२।।, ०३/०।।, ४३/०।।, ५५

..... में
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव मोहनपुरा में सरपंच आशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग केमोहनपुरा गांव में ०.०७२८ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात मोहनपुरा उत्कृष्ट लागा से मोहनपुरा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग केमोहनपुरा गांव में ०.०७२८ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

छात्र नं. ५०२ १५.०८.२०१९
 घुस्तान लं. ७) क्र. ३५०५८
 आशा देवी

A
 ग्राम विकास अभियान
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 माण्डलगढ़

आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 प.स. माण्डलगढ़, जिला - भीलवाडा

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :— ग्राम पंचायतमोहनपुरा
 ग्राम :—नीम का रेडा
 दिनांक :—१५/०८/२०१३

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या३२६, ६७६/३१०, ६७७/३१५, ६७८/३१७
६४०/३२५, ६४१/३२८, ६४३/३२७ में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांवमोहनपुरा में सरपंचआशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के नीम का रेडा गांव में०.०५।१ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् मोहनपुरा उसालागाड़ी रोड नीम का रेडा पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के नीम का रेडा गांव में०.०५।१ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम जना उन्नेन १८.०८.२०१३
 उत्ताव नं (३) में अनुमति
आशा देवी

AB
 ग्राम विकास
 ग्राम पंचायत
 श. स. माण्डलगढ़

आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 प.स. माण्डलगढ़, जिला-भीलवाडा

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत सराणा

ग्राम :- कैकड़ीपुर

दिनांक :- १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा
के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड
माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र सुशाश्वा।
के खसरा संख्या ०१, १०२/२३, १०५/३६

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव सुशाश्वा में
में सरपंच कैकड़ीपुर की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की
उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति
में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के कैकड़ीपुर गांव में ०.०९५९ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् सुशाश्वा से कैकड़ीपुर तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के कैकड़ीपुर गांव में ०.०९५९ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा का १५/०८/२०१९ के अन्तिम बा. ३ पर अनुमोदन
किए गए।

साचेव
ग्राम पंचायत-सराणा
प. स. माण्डलगढ

सरपंच
ग्राम पंचायत- सराणा
प. स. माण्डलगढ

संजय कुमार डांगी
पार्षद, वार्ड नं. 5
नगर पालिका माण्डलगढ़

निवास :-

म.नं. 101, गेणोली रोड, तलहटी माण्डलगढ़
माण्डलगढ़, जिला - भीलवाड़ा (राज.)

Mob. : 9414676690

क्रमांक : ४१-

दिनांक : - ०६-०९-२०१९

आज दिनांक ०६-०९-२०१९ को वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन लम्बाई 827.95 मीटर जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है। उक्त पेयजल पाईप लाईन के बिछाने हेतु वार्ड सभा में वन भूमि में प्रस्तावित 827.95 मीटर लम्बाई पाईप लाईन की आवश्यकता बताई गई एवं वार्ड सभा में दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा ३ (१) व ३ (२) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित तथा प्रक्रियाधिन नहीं है।

किसी भी सदस्य को वनक्षेत्र में प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन लम्बाई 827.95 मीटर बिछाने में कोई आपत्ति नहीं है एवं सर्वसम्मति से वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

जलदाय विभाग चम्बल परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन लम्बाई 827.95 मीटर बिछाने में आने वाली वनभूमि की लोकेशन नीचे दृशाई गई है।

आवेदित वन भूमि : - 0.0497 हैक्टेयर

खसरा नं. : - 430 / 198

राजस्व ग्राम : - भारजी का खेड़ा

वार्ड नं. : - 05, नगर पालिका माण्डलगढ़

जिला : - भीलवाड़ा

निःअनुकूल कार्यालयी की अम्

संजय कुमार डांगी

पार्षद वार्ड नं. ५

न पा माण्डलगढ़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 ग्राम :- लोका
 दिनांक :- १५/७/२०१३

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र के खसरा संख्या 529

..... में
लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव लोका भोपतपुरा में सरपंच रोज़मील जो लोकार्हा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के लोका गांव में ०.२२३६ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड साण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लोका भोपतपुरा साण्डलगढ लै भीटा व तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के लोका गांव में ०.२२३६ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम पंचायत अनुज्ञा
१५/७/२०१३ दे प्रस्तुत
(१) श्री अमृतोदय श्री गपा


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत भोपतपुरा
न० १० विजौलिया


ग्राम पंचायत अधिकारी
व० १० विजौलिया

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत मोपतपुर
 ग्राम :-
 दिनांक :- बीड़ी १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोपतपुर के खसरा संख्या 540.

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव में में सरपंच .. राजीत नायार की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के बीड़ी ०.१२० हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् याकी उपर से सीलैन्स तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के बीड़ी ०.१२० हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा अनुज्ञा १५/०८/१९ के प्रत्यारूप
 (४) प्रे अनुमोदन अप्रृष्ट

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत भोपतपुर
 + प. लिंगमित्र

सरपंच
 ग्राम पंचायत भोपतपुर
 ०१ स० निजीलियो

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 ग्राम :- भूली
 दिनांक :- १५/०८/२०१३

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र भोपतपुरा के खसरा संख्या ११७

में
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव भोपतपुरा .. में सरपंच राजीत भूली की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के भूली गांव में ०.१६.० हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् भोपतपुरा लगाई जाने के गांव तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के भूली गांव में ०.१६.० हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

[Signature]
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 व स. विजौलिया

[Signature]
 सरपंच
 ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 व स. विजौलिया

दिनांक १५.०८.१३ ग्राम भोपतपुरा
 अन्तर्गत लगाई जाने के लिये विपथन
 को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- भूलत
 दिनांक :- ०४/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या.....[7].....

.....
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव..... बिजौलिया खुर्द..... में सरपंच गायत्री देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के भूलत गांव में..... ०.०२६।। हैकटेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात बिजौलिया खुर्द से भूलत तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के भूलत गांव में..... ०.०२६।। हैकटेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 एवं म बिजौलिया


 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 एवं म बिजौलिया

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पुलताल ज़ेर्हा (२) नं अनुमति
 ८-८-२०१९

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत विजौलिया खुर्द
 ग्राम :-खण्डपाली
 दिनांक :-०५/०८/२०१७

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र विजौलिया खुर्द के खसरा संख्या०५, ०६, ०७, १०

.....
लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांवविजौलिया खुर्द में सरपंचग्रामपाली देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग केकुष्टपाली गांव में०.०६४१ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात विजौलिया खुर्द से बोने तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग केकुष्टपाली गांव में०.०६४१ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh
सुरेश
ग्राम पंचायत विजौलिया खुर्द
पं. म विजौलिया

ग्राम पंचायत विजौलिया खुर्द
पं. म विजौलिया

आपृष्ठ
मरणव
मृपसभा दिनांक ४-८-२०१७
पुस्तकालया (०२) से भ्रमित

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :-मौनगढ़ी ६
 दिनांक :- ०८/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या..... १०, १९०/१०

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच ग्रामपत्री २८/१ की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग केमौनगढ़ी ६ गांव में ०.१२५.५ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया खुर्द का वन ८०० हेक्टेयर तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग केमौनगढ़ी ६ गांव में ०.१२५.५ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Smoz

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
पं. म. बिजौलिया

डाक्टरी
मरपंच

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
पं. म. बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक ८-८-२०१९
मेरुउत्तराखण्ड (०१) नं. अनुमति

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- पटियाल
 दिनांक :- ०४/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया के खसरा संख्या..... ६३

.....
 लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच गांभरी देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के पटियाल गांव में ०.०६८० हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया खुर्द से पटियाल तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के पटियाल गांव में ०.०६८० हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh
 सुरेश
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं. म बिजौलिया

गांभरी
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द उत्तर लंबा (२) ज्ञे लंबा (२)
 ग्राम सभा दिनांक ८-८-२०१९

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत लिंगोलिया खुर्द
 ग्राम :- तिरती
 दिनांक :- ०८/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र लिंगोलिया ३४५ के खसरा संख्या ०६, ०७, १७५/६, १७६/९, १७७/० में

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव लिंगोलिया खुर्द में सरपंच शाहनी देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के तिरती गांव में ०.३२६३ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लिंगोलिया से १०५५५ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के तिरती गांव में ०.३२६३ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Swey
सरपंच
 ग्राम पंचायत विजीलिया खुर्द
 ग्राम पंचायत विजीलिया खुर्द

शाहनी
सरपंच
 ग्राम पंचायत विजीलिया खुर्द
 पं. म विजीलिया

ग्राम सभा दिनांक ८-८-२०१९
 उपस्थिति संख्या ② त्रै अठ
 मोदित ।

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत **बिजौलियाँ खुर्द**
 ग्राम :-**द्वारी रवेड़ा**.....
 दिनांक :-**०४/०८/२०१७**.....

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड, माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र **बिजौलियाँ खुर्द** के खसरा संख्या**50, 51**.....

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव **बिजौलियाँ खुर्द** में सरपंच**श. अमर देवी**..... की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के **द्वारी रवेड़ा** गांव में**०.०१०४** हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड, माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात **बिजौलियाँ खुर्द** से**कानीर**..... तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के **द्वारी रवेड़ा** गांव में**०.०१०४** हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh
मरणी

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
पं. म. बिजौलिया

दाप्तरी
मरणी

पं. म. बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक ४-८-२०१७
पुनरावृत्ति ०२ जून २०१८

ग्राम सभा अनुज्ञा

पटाया

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत पटाया
 ग्राम :- २०८२६
 दिनांक :- १५/८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र ९८८४ के खसरा संख्या ०१, ०२, ०३/०१, ०५/०१, ०५/०२, ०६/०२ वे ०७/०२ में

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव २०८२६ में सरपंच १५/८/२०१९ की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के २०८२६ गांव में ००८४ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् नियमित्या से १५/८/२०१९ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के २०८२६ गांव में ००८४ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

उत्तर संकारिता १५-८-२०१९
उत्तरार्थ ८२ अनुमोदन
१५/८/२०१९

सचिव
ग्राम पंचायत-थडीदा
पं. स. विजौलिया

दग्धिग्राम
सचिव
ग्राम पंचायत-थडीदा
पं. स. विजौलिया

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत झाराखी
 ग्राम :- कर्नलात
 दिनांक :- १५/०८/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र झाराखी के खसरा संख्या.....26, 28, 29, 30

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव झाराखी में सरपंच ज्ञाराखी लाल हुरवा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के ४१ कर्नलात गांव में ०.०६.०६ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् २.८३५५२० से कर्नलात तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के कर्नलात गांव में ०.०६.०६ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ज्ञाम सभा क्रिन्नाम १५/०८/२०१९
प्रस्ताव सरपंचों ०४ में अनुमोदित है

अभियान अधिकारी
ग्राम पंचायत भागली
एस बिजोलिया

सरपंच
ग्राम पंचायत भागली
एस बिजोलिया

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत सुखपुरा
 ग्राम :- कोटी
 दिनांक :- ०१/०४/२०१९

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र सुखपुरा के खसरा संख्या ५, ६, ९/६

..... में
लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव सुखपुरा .. में सरपंच कोटी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुददों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के कोटी गांव में ०.०३५५ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लगाई पाइप लाइन कोटी तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के कोटी गांव में ०.०३५५ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। ग्राम सभा द्वारा ०१/०४/२०१९ के द्वारा

ग्राम सेवक देवता संघ
ग्राम पंचायत-सुखपुरा
प. स. विजौलियाँ

भोगिता देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत-सुखपुरा
प. स. विजौलियाँ

20